ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 एसटीपीआईज़ को एसटीपी/ईएचटीपी योजना के कार्यान्वयन, संरचनात्मक ढांचे के निर्माण एवं प्रबंधन तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंतर्गत, संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय, डीईआईटीवाई, के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में 5 जून 1991 को स्थापित और पंजीकृत किया गया था।

1.2 एफटीपी (2004-09 और 2009-14) के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ईकाईयाँ माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीदारियों पर उनके द्वारा दिए गए सीएसटी के प्रतिदाय के हकदार हैं। डीटीए द्वारा ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को की गई आपूर्तियों का उपयोग इकाईयों द्वारा माल/सेवा निर्यात (डीटीए में अनुमत बिक्री के अलावा) के उत्पादन के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। एचबीपी, खंड I, में वर्णित पद्धति के अनुसार ईकाई को सीएसटी को प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा क्षेत्रधिकारी निदेशक, एसटीपीआई को, एसटीपी/ईएचटीपी से की गई आपूर्तियों के लिए ईओयू को की गई आपूर्तियों के लिए क्षेत्रधिकारी डीसी-सेज़ को प्रस्तुत करना होगा।

1.3 ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी ईकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति एचबीपी के परिशिष्ट -14-1 -1 में वर्णित पद्धति के अनुसार डीईआईटीवाई और डीओसी के मनोनित अधिकारियों द्वारा (ईओयू इकाईयों के मामले में क्षेत्राधिकारी डीसी-सेज़ द्वारा) की जाती है।

1.4 **चार्ट 4: डीईआईटीवाई का संगठन**

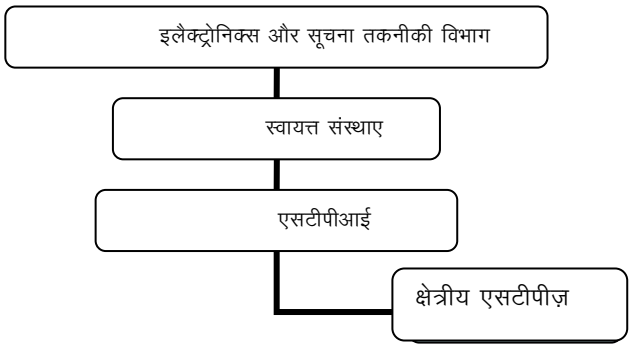

1.5 एसटीपी/ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इकाईयों को स्थापित करने के लिए डीईआईटीवाई और अन्तर मंत्रालय स्थाई समिति (आईएमएससी) द्वारा मनोनीत अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है।

1.6 अन्य बातों से साथ-साथ डीईआईटीवाई के उद्देश्य, ई-सर्विसेज़ प्रदान करके और इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर में निर्माण और टायर II और टायर III स्थिति में एसटीपीआई केन्द्रों द्वारा आईटी-आईटीईएस उद्योग स्थापित करके और इसके आरएफडी 2012-13

के अनुसार एसटीपी/डीईआईटीवाई योजनाओं की निष्पादन समीक्षा करके ई-इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इसकी आरएफडी में अनिवार्य सफलता सूचकों में से वित्तीय उत्तरदायित्व संरचना के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

1.7 सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को निपटाते समय एसटीपी/ईएचटीपी के मनोनीत अधिकारियों ने यह जांच की है कि ईकाईयों द्वारा माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए की गई खरीदारियां करना आवश्यक हैं। एसटीपीआई मुख्यालय एसटीपीआई केन्द्र द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए आबंटित बजट में से निधि देने के लिए डीईआईटीवाईको सीएसटी दावों की राशि के साथ लाभार्थियों की केन्द्रवार समेकित सूची प्रस्तुत करता है। इसके बाद डीईआईटीवाई का कार्यक्रम डिवीजन सचिव के अनुमोदन और डीईआईटीवाईके एकीकृत वित्तीय डिवीजन की सहमति के लिए मांग पर कार्य करता है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

1.8 सीएसटी की प्रतिपूर्ति की निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नवत को सुनिश्चित करना हैः

क. योजना के प्रबंधन के लिए आन्तरिक नियंत्रण कार्यविधियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता;

ख. राजस्व की हानि या सीएसटी के अनियमित और गलत प्रतिदाय के प्रति सुरक्षा के वर्तमान प्रावधानों का अनुपालन;

ग. केवल योग्य आवेदनकर्ताओं को प्रतिपूर्ति;

घ. योजनाओं का परिणाम निर्धारण;

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कवरेज

1.9 हमने एफटीपी 2004-09 और 2009-14 में निर्धारित सीएसटी के प्रतिदाय के दावे के लिए और डीईआईटीवाई के अपने आरएफडी, रणनीति और निष्कर्ष रिपोर्टिंग के अनुसार योजना की निगरानी करने के लिए मंत्रालय आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों और विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा और क्षेत्रीय संरचनाओं की प्रणाली की पात्रता, मापदण्ड, प्रक्रिया की जांच की। 2007-08 और 2010-11 के दौरान ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी को सीएसटी के प्रतिदाय के मामलों की लेखापरीक्षा मार्च 2012 से जून 2012 के दौरान देशभर में स्थित डीईआईटीवाई और डीओसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

1.10 लेखापरीक्षा का प्रबंधन सीएजी के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचे, 2009, व्यावसायिक लेखापरीक्षा मानक दूसरा संस्करण, 2002 लागू करके तथा निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2004 के अनुसार किया गया था।

लेखापरीक्षा नमूना

1.11 लेखापरीक्षा ने देश भर में स्थित डीसी-सेज़ों और एसटीपीज़ में से सात सेज़ों[20] और आठ सेजों में से छः एसटीपीज़[21] और 10 एसटीपीज़ के क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूनों की संख्या की सीएसटी प्रतिदाय के मामलों की संवीक्षा की। इन सात सेज़ों में 2007-08 से 2010-11 के दौरान 15,406 मामलों में ₹ 992 करोड़ राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी, जिनमें ₹ 687 करोड़ के 6,068 मामलों की संवीक्षा की गई । इसी तरह, छह एसटीपीज़ में, ₹ 57 करोड़ के प्रतिदाय के 443 दावे किए गए, इन मामलों में से ₹ 34 करोड़ के 246 मामले लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुने गए। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए नमूना डीईआईटीवाईऔर डीओसी की क्षेत्रीय संरचनाओं में लेन-देन की मात्रा के आधार पर स्तरीकृत अनियमित नमूना लेने का उपयोग करके जैसाकि नीचे सारणीबद्ध किया गया है, चुना गया थाः

तालिका 4: स्तरीकृत नमूना

श्रेणी	लेखापरीक्षा के लिए चयनित गए मामले
₹ 50 लाख और उससे ऊपर के दावे ₹ 50 लाख से नीचे के दावे	100 प्रतिशत 50 प्रतिशत

[20] कोचीन, चेन्नई, काण्डला, मुम्बई, नोएडा, कोलकाता और विशाखापट्टनम

[21] मुम्बई, बैंगलुरू, गांधीनगर, नोएडा, भुवनेश्वर और कोलकाता